छत्तीसगढ़ शासन

“ छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम - 2022 ”

(संशोधित प्रारूप)

जल संसाधन विभाग

छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन और विनियमन) विधेयक, 2022

प्रस्तावना

राज्य के विशेष रूप से संकट ग्रस्त ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों मे दोनों परिणात्मक एवं गुणात्मक भू-जल का अविरत प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु भू-गर्भ जल की सुरक्षा, संरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये

विधेयक

यतः, भू-जल के अनियंत्रित और तीव्र निष्कर्षण के फलस्वरूप भू-जल के स्तरों में आई गिरावट से भयप्रद स्थिति उत्पन्न हो गयी है और राज्य के अनेक भागों के ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में भू-जल के स्त्रोतों में कमी आ गयी है;

और यतः, भू-जल, घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोगों हेतु एकल सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल स्त्रोत होने के कारण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पेय जल, खाद्य तथा जीविका सुरक्षा का मेरूदण्ड है;

और यतः, अतिशय भू-जल निष्कर्षण और भू-जल संदूषण के कारण गम्भीर भू-जल संकट विद्यमान है;

और यतः, भू-जल का विकास राज्य की आवश्यकता है, इसलिए विशेष रूप से अतिदोहित तथा संकटग्रस्त क्षेत्रों में इसका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन किया जाना भी इस बहुमूल्य संसाधन की सुरक्षा एवं संरक्षण समय की माँग है;

और यतः, संकटग्रस्त क्षेत्रों में भू-जल की समुचित वृद्धि/पुनर्भरण के प्रयोजनार्थ भूगर्भ जल संसाधनों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए, और राज्य में उक्त संकटग्रस्त क्षेत्रों की भूगर्भ जल की पूर्णकालिक गुणवत्ता को अनुरक्षित या पुनर्स्थापित करते हुए भू-जल प्रदूषण निवारण के लिए उपबन्ध करना भी समीचीन है;

और यतः भू-जल के साम्यपूर्ण तथा पर्यावरणीय रूप से ठोस भू-जल विनियमन से वर्तमान समय की जलवायु परिवर्तन सहित कतिपय सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने में सहायता प्राप्त हो सकती है;

और यतः, जल ऐकिक प्रकृति का होता है, जिसके लिए भू-पृष्ठ जल तथा

भूगर्भ जल का एकीकृत रूप में होना अपेक्षित है, जो भूमि और वनस्पति से अभिन्न रूप में संयोजित होता है और उसका वर्षा जल (प्राकृतिक पुनर्भरण के माध्यम से) से जटिल रूप में जुड़ाव होता है।

और यतः, भू-जल लोगों की सार्वजनिक विरासत है, यह अपने सभी रूपों में जीवन को बनाये रखने के लिए आवश्यक है, यह पारिस्थितिक तन्त्र का एक अभिन्न अंग है,

और यतः, भू-जल अपनी प्राकृतिक अवस्था में सामान्य रूप से एक सामूहिक संसाधन है भारत के उच्चतम न्यायालय ने भूगर्भ जल लोक न्यास सिध्दांत को इस मान्यता के साथ लागू किया है कि भू-जल निजी संपत्ति अधिकार अनुपयुक्त अधिकार है, जिनके कारण भू-जल की प्रास्थिति संकटमय, प्रतिकूल तथा परिवर्तनशील हो जाती है;

और यतः, राज्य सरकार ने समस्त सम्बन्धित पहलुओं पर सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया है कि भू-जल का किसी भी रूप में न्यायसंगत रूप में निष्कर्षण और उपयोग का प्रबंधन तथा विनियमन करना और राज्य के संकटग्रस्त क्षेत्रों में भू-जल का संरक्षण तथा उसकी सुरक्षा करना भी लोकहित में समीचीन तथा आवश्यक है और उसे नियोजन तथा प्रबंधन में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जायेगी;

और यतः, भू-जल संसाधनों की गुणात्मक एवं परिमाणात्मक अविरतता और भू-जल उपयोग में साम्यता को सुनिश्चित करने के लिए एक नया विधिक ढांचा (सन्नियमों, सिध्दांतो, प्रक्रियाओं और समकालीन तथा आसन्न चुनौतियों को इंगित करने वाली उपयुक्त संस्थाओं सहित) अपेक्षित है;

और यतः, राज्य सरकार ने समस्त संबंधित पहलुओं पर सावधानी पूर्वक परीक्षण करने के पश्चात् यह विनिश्चय किया है कि लोकहित में भूगर्भ जल उपयोग का प्रथम अधिकार पीने के लिए, घरेलू तथा पशु उपयोग हेतु होगा।

एतद् द्वारा भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय-एक

संक्षिप्त नाम विस्तार एवं परिभाषाए

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

1-(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भूगर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2022 कहलायेगा;

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा;

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किए जा सकते हैं;

परिभाषाएं

2-(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:-

(क) 'समुचित निकाय' से अभिप्रेत है, राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण, जिला

भू-जल प्रबंधन परिषद और विकासखंड स्तरीय भू-जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति से संबंधित संदर्भ में जहाँ यह उल्लेखित है;

(ख) 'जलभृत' से अभिप्रेत है, खण्डित चट्टानों, रेत, बजरी तथा तद्समान तलछटों से समाविष्ट भौगोलिक संरचना, संरचना समूह या आंशिक संरचना समूह के भूमिगत सतह से है जो पर्याप्त सरंध्र, पारगम्य और जल से संतृप्त है और जो किसी कूप या जल स्त्रोत को पर्याप्त मात्रा में जल प्रेषित करता है/प्रतिगृहीत करता है/प्रदान करता है;

(ग) 'भू-जल समिति' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला में भूगर्भ जल जागरूकता कार्यक्रम क्रियान्वित करने हेतु गठित व्यक्ति समूह से है;

(घ) सामूहिक उपयोगकर्ता से अभिप्रेत है, किसी अधिष्ठान यथा होटल/लाज/ हॉस्टल/निजी आवासीय भवन/आवासीय कालोनी/रिसार्टों/निजी चिकित्सालय/ परिचर्या गृह/कारोबार प्रक्षेत्र/मॉल/वाटर पार्क सहित किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति समूह से अभिप्रेत है, जो अपनी क्रियात्मक जल आवश्यकताओं के प्रयोजनार्थ भू-जल का निष्कर्षण और उपयोग करते हैं;

(ङ) 'केन्द्रीय भू-जल बोर्ड' से केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है;

(च) 'वाणिज्यिक उपयोगकर्ता से अभिप्रेत है, ऐसी किसी संस्था या किसी

अभिकरण या किसी अधिष्ठान,जो उस प्रयोजनार्थ भू-जल का निष्कर्षण और उपयोग करता है, सहित ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह से है, जो वित्तीय उपलब्धि या लाभ हेतु अपने कारोबार या व्यापार के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ प्राप्त करता है;

(छ) ''जिला पंचायत' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य में जिला के जिला पंचायत से है;

(ज) जिला भू-जल प्रबंधन परिषद' से अभिप्रेत है, धारा 4 के अधीन गठित जिला भू-जल प्रबंधन परिषद से है;

(झ) 'वेधन अभिकरण' से अभिप्रेत है, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या किसी संस्था से है, जो किसी प्रयोजन यथा घरेलू/पीने हेतु/वाणिज्यिक/औद्योगिक/सामूहिक/अवसंरचनात्मक उपयोग के लिए भूगर्भ जल का निष्कर्षण और उपयोग करने हेतु कूपों/नलकूपों का वेधन करने के व्यवसाय के भाग के रूप में संलग्न है;

(ञ) 'पर्यावरणीय प्रवाह' से अभिप्रेत ऐसे जल प्रवाह से है, जो जलीय पारिस्थितिकीय तंत्रों के संघटकों, कृत्यों, प्रक्रियाओं तथा नम्यता को अनुरक्षित करने के लिए अपेक्षित जल प्रवाह की गुणवत्ता, परिमाण तथा समय निर्धारण को निर्दिष्ट करते हैं;

(ट) 'भू-जल विंग/इकाई से अभिप्राय छत्तीसगढ़ सरकार के जल संसाधन विभाग के आधीन भू- जल संबंधित गतिविधियों के संचालन, संधारण कार्यों से है।

(ठ) 'भू-जल गुणवत्ता संवेदनशील परिक्षेत्र' का अभिप्राय, इस प्रकार किसी क्षेत्र से है, जहाँ भू- जल गुणवत्ता, भूजनित या मानव जनित कारणों के फलस्वरूप रासायनिक तत्वों, भौतिक-रासायनिक संघटकों, भारी धातुओं और जीवाण्विक संदूषण के उच्च स्तरीय/अतिशय संकेन्द्रण से प्रभावित है;

(ड) 'भू-जल संसाधन प्राक्कलन रिपोर्ट' का अभिप्राय अतिदोहित, संकटग्रस्त, अर्ध्द संकटग्रस्त और सुरक्षित श्रेणियों में वर्गीकरण सहित भू-जल संसाधन के विकासखण्डवार निर्धारण के लिए भू-जल विंग (जल संसाधन विभाग), छत्तीसगढ़ और केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा तैयार की गयी भू-गर्भ जल प्राक्कलन समिति की पध्दति तंत्र पर आधारित नवीनतम अनुमोदित रिपोर्ट से है;

(ढ) 'भू-गर्भ जल सुरक्षा योजना' का अभिप्राय, उपलब्ध जल भू-गर्भीय सूचनाओं पर क्रमिक रूप से आधारित किसी योजना से है और उसमें ऐसे उपाय/मध्यक्षेप सम्मिलित हैं जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र के रूप में तथा जल भूगर्भीय रूप में संभाव्य है;

(ण) 'भू-जल' का अभिप्राय ऐसे जल से है, जो किसी संतृप्त परिक्षेत्र में एक्वीफर या अन्य भू-गर्भीय संरचनों के मध्य भूमि की सतह के नीचे प्राकृतिक रूप से संचित अथवा प्रवाहमान पाया जाता है और जिसे कूपों या किन्हीं अन्य साधनों से निकाला जा सकता है अथवा धाराओं और नदियों में झरनों तथा मुख्य प्रवाहों के रूप में प्रकट होता है;

(त) 'उद्योग' से अभिप्रेत है, किसी ऐसे कारोबार, व्यापार, उपक्रम, विनिर्माण या नियोजकों की आजीविका से है, जो किसी अभिलाभ या लाभ हेतु चलाया जाता हो और उसके अन्तर्गत कोई आजीविका सम्बन्धी सेवा नियोजन, हस्तशिल्प या औद्योगिक व्यवसाय या श्रमिक का उप व्यवसाय या माल के उत्पादन के लिये किसी नियोजक और उसके श्रमिक (चाहे ऐसा श्रमिक उक्त नियोजक द्वारा सीधे नियोजित किया गया हो या किसी अभिकरण, जिसके अन्तर्गत ठेकेदार भी हैं, द्वारा अथवा उसके माध्यम से) के मध्य सहयोग द्वारा चलाया जाने वाला क्रमबद्ध क्रियाकलाप भी है;

(थ) 'अधोसंरचनात्मक प्रयोक्ता/उपयोगकर्ता' से अभिप्राय, ऐसी किसी फर्म या कंपनी सहित व्यक्ति या व्यक्ति समूह से है जो अवसंरचनात्मक विकास से सीधे संबंधित क्रियाकलापों/परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ भू-जल का निष्कर्षण और उपयोग करता है;

(द) 'अधिसूचित क्षेत्र' से अभिप्रेत है, धारा 6 के अधीन इस रूप में अधिसूचित क्षेत्र से है जिसमें अति-दोहित, संकटमय और संकटग्रस्त विकासखण्ड अथवा नगरीय क्षेत्र सम्मिलित है;

(ध) 'जल उपयोक्ता/उपभोक्ता संथा का अभिप्राय, तालाबों /नलकूप के अनुरक्षण और संरक्षण के लिए तालाब/नलकूप स्तर या नलकूपों के समूह स्तर पर गठित किसी व्यक्ति-समूह से है, जो छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम 2006 अंतर्गत गठित हो;

(न) 'प्रदूषण' का अभिप्राय, भू-जल या भू-पृष्ठ जल या ऐसे संदूषण या जल

के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में परिवर्तन या किसी मल, प्लास्टिक, थर्मोकोल या व्यापारिक वहिःस्त्राव या गैसीय या ठोस पदार्थ युक्त किसी अन्य तरल पदार्थ का भू-जल में (प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में) निस्सारण से है, जिससे उपताप हो सकता है या उपताप उत्पन्न होना सम्भावित हो या ऐसे भू-जल, जो लोक स्वास्थ्य या सुरक्षा हेतु या घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषिगत या अन्य विधिसम्मत उपयोगों के लिए या पशुओं या पौधों या जलीय जीवों के जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या क्षतिकारक हो सकता है;

(प) 'वर्षा जल संचयन' का अभिप्राय, भू-जल भण्डारण या उसके पुनर्भरण हेतु छत के ऊपर अथवा अन्यथा अपनाई गई संचयता सहित सूक्ष्म जल विभाजक, वर्षा जल संग्रहण और भण्डारण तकनीक या प्रणाली से है;

(फ) 'ग्रामीण क्षेत्रों' से अभिप्रेत है, उन क्षेत्रों से है जो नगरीय क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत नहीं है;

(ब) 'राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण' से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ प्रदेश राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण से है;

(भ) 'नगरीय क्षेत्रों' से अभिप्रेत है, ऐसे क्षेत्रों से है जो यथास्थिति किसी सक्षम प्राधिकरण या किसी नगर पालिका या किसी नियामक निकाय द्वारा अधिसूचित किये जायें, जिनमें ऐसे क्षेत्र/भूमि सम्मिलित नहीं है, जो किसी विकास प्राधिकरण या किसी नगर पालिका या किसी विनियमित क्षेत्र की महायोजना में कृषि उपयोग हेतु वर्गीकृत किये गये हों;

(म) भू-जल उपयोगकर्ता से अभिप्रेत है, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या संस्था से है, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक आधार पर किये जाने वाले घरेलू उपयोग सहित किसी प्रयोजन के लिए भू-जल का स्वामित्व रखते हैं, उसका प्रयोग करते हैं या विक्रय करता है/करते हैं और उसमें/उनमें कोई सरकारी या गैर सरकारी उद्योग, वाणिज्यिक उपयोक्ता/उपयोगकर्ता, सामूहिक उपयोक्ता/उपयोगकर्ता, कंपनी का कोई प्रतिष्ठान सम्मिलित है, किन्तु उसमें/उनमें ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग या संस्था सम्मिलित नहीं है, जो हस्तचालित या पशुचालित युक्तियों यथा हैण्डपम्प, रस्सी तथा बाल्टी और रहट आदि द्वारा परम्परागत संरचनाओं कूप (कूँआ), धोड़ी, बावड़ी इत्यादि से निकाले गये जल का प्रयोग करता है/करते हैं;

(य) 'जल और स्वच्छता समिति' से अभिप्रेत है, जल और स्वच्छता योजनाओं के नियोजन, अनुश्रवण, क्रियान्वयन और अनुरक्षण हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/पालिका/निगम में गठित किसी समिति से है;

(र.) ' कूप' से अभिप्रेत है, भू-जल के खोज या निष्कर्षण या पुनर्भरण के लिए निर्मित किसी संरचना से है और उसके अन्तर्गत खुला कूप, डगवेल, बोरवेल, डग कम बोरवेल, नलकूप, अन्तः स्पन्दन गैलरी, पुनर्भरण कूप अथवा उनमें से किसी का संयोजन या रूपान्तरण भी है, जिसका उपयोग भू-जल निष्कर्षण तथा भू-जल पुनर्भरण के लिए किया जा सकता है;

(2) इसमें प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिए सम्बन्धित विधियों में क्रमशः समनुदेशित हैं।

<u>अध्याय-दो</u>

<u>संस्थागत ढाँचा</u>

राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण

3-(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक से एक राज्य प्राधिकरण स्थापित करेगी, जो छत्तीसगढ राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के रूप में जाना जायेगा;

(2) राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण में निम्नलिखित होंगे:-

1.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2.	भारसाधक सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
3.	भारसाधक सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4.	भारसाधक सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सदस्य
5.	भारसाधक सचिव, कृषि विभाग	सदस्य
6.	भारसाधक सचिव, उद्दयोग विभाग	सदस्य
7.	भारसाधक सचिव, भौमिकी एवं खनिज संचालनालय छत्तीसगढ़	सदस्य
8.	भारसाधक सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	सदस्य

9.	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग	सदस्य सचिव
10.	प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सदस्य
11.	सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल	सदस्य
12.	क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (NCCR) रायपुर	सदस्य
13.	मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, छत्तीसगढ़	सदस्य
14.	छत्तीसगढ़ राज्य में भू-जल प्रबंधन का दीर्घकालिक कार्य करने का अनुभव रखने वाले तीन विषय विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे)	सदस्य
15.	भू-जल के क्षेत्र में कार्य करने वाला सार्वजनिक/गैर सरकारी संगठन/सामाजिक क्षेत्र का एक प्रख्यात व्यक्ति	सदस्य

(3) विषय विशेषज्ञ और प्रख्यात व्यक्ति सदस्यों की पदावधि और रिक्तियों को भरने की रीति तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जाये;

(4) प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण की ओर से सदस्य सचिव एवं नोडल कार्यपालिक अधिकारी होगा;

(5) प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग का कार्यालय, राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा

(6) राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) धारा 6 के अधीन यथा उपबंधित भू-जल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन हेतु क्षेत्रों को अधिसूचित करना;

(ख) धारा 9 के अधीन यथा उपबंधित भू-जल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन हेतु क्षेत्रों को गैर अधिसूचित करना;

(ग) धारा 12 के अधीन यथा उपबंधित भू-जल निष्कर्षण की सीमाओं को नियत करना;

(घ) अधिसूचित और गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में औद्योगिक, वाणिज्यिक,

अवसरंचनात्मक तथा खनन उद्देश्य हेतु भू-जल निष्कर्षण/निकासी हेतु अनुमति देना;

(ड) भू-जल निष्कर्षण/निकासी करारोपण/आरोपित राशि वसूल/एकत्र करना

(च) भू-जल उपयोग के निगरानी और प्रबंधन हेतु तकनीक विकसित करना एवं नवीनतम तकनीक अपनाना

(7) राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के कर्मचारीगण

(क) राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण को अपने कृत्यों का समुचित निष्पादन करने और इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने योग्य बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार उतनी संख्या में प्राविधिक कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारीगण की नियुक्ति कर सकती है, जैसा कि वह संस्थागत सहायता, सुविधाओं तथा बजट सहित आवश्यक समझे;

(ख) ऐसे कर्मचारियों के कृत्य और सेवा की निबंधन एवं शर्तें वहीं होंगी, जैसा कि विहित किया जाये;

(ग) राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण राज्य सरकार के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा;

(8) अन्य समुचित निकायों के लिए सहायता:-

जिला भू-गर्भ जल प्रबंधन परिषद को निर्विघ्न और सम्यक् रूप से कार्य करने के लिए कर्मचारी वर्ग तथा कार्यालय के साथ ही साथ समस्त संस्थागत सहायता और कार्य सुविधाओं तथा बजट सबंधी अपेक्षाओं के लिए भी उपबंध किये जायेंगे।

जिला भू-जल प्रबंधन परिषद

4-(1) एक **जिला भू-जल प्रबंधन परिषद** का गठन किया जायेगा, जो जिला स्तर पर भू-जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक समग्र इकाई होगी;

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य भू-जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण का गठन किये जाने के तीन माह के भीतर राज्य भू-जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण को जिला भू- जल प्रबंधन परिषद का गठन करने के लिए निर्देश जारी करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे;

(क) अध्यक्ष-जिला कलेक्टर;

(ख) उपाध्यक्ष - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत;

(ग) सदस्य सचिव-कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जिला मुख्यालय;

(घ) भू-जल के क्षेत्र में बहुकालीन अनुभव रखने वाले विषय विशेषज्ञ, दो सदस्य, जो जिला कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

(ड) अन्य सदस्य सम्भागीय वन अधिकारी वन, सहायक भू-जल विद भू-जल सर्वेक्षण विंग/इकाई, क्षेत्रीय अधिकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, उपसंचालक कृषि विभाग, आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका-जिला मुख्यालय (स्थानीय निकाय), कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, (प्रत्येक से एक) जिला स्तरीय प्रतिनिधि होंगे;

(3) नामित सदस्यों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जाए;

(4) जिला भू-जल प्रबंधन परिषद के कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) सूक्ष्म जल विभाजक पध्दति पर आधारित और यथा विहित मार्गदर्शनों के अनुसार जिला स्तरीय भू-जल सुरक्षा योजना को समेकन करना;

(ख) जिला भू-जल सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन;

(ग) जिला भू-जल सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना;

(घ) जल जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना;

(ङ) अधिसूचित और गैर-अधिसूचित क्षेत्रों में समस्त विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसरंचनात्मक तथा थोक उपयोगकर्ता को रजिस्ट्रीकृत करना और अधिसूचित करना;

(च) गैरअधिसूचित क्षेत्रों में भू-जल निष्कर्षण हेतु अनुमति पत्र अनुशंसा करना;

(छ) वेधन अभिकरणों को रजिस्ट्रीकृत करना;

(ज) ऐसे कृत्यों को क्रियान्वित करना जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाए या समनुदेशित किया जाए;

(झ) साथ राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित करना;

5- **विकासखंड स्तरीय भू-जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति -** (1) भू-जल के घरेलू और कृषि के वर्तमान और नवीन उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण हेतु विकासखंड स्तरीय भू-जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति का गठन किया जायेगा

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य भू-जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण का गठन किये जाने के तीन माह के भीतर राज्य भू-जल प्रबन्धन और नियामक प्राधिकरण को विकासखण्ड स्तरीय भू-जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति का गठन करने के लिए निर्देश जारी करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे;

(क) अध्यक्ष-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत संबंधित विकासखण्ड

(ख) सदस्य सचिव-अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग संबंधित विकासखण्ड

(ग) अन्य सदस्य कृषि विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, उद्योग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, तथा वन विभाग के (प्रत्येक से एक) विकासखंड स्तरीय प्रतिनिधि होंगे;

(3) विकासखंड स्तरीय भू-जल उपयोगकर्ता पंजीकरण समिति के कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

(क) जल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना,

(ख) विकासखंड अंतर्गत अधिसूचित एवं गैर अधिसूचित क्षेत्रों के भू-जल के घरेलू और कृषि के वर्तमान और नवीन उपयोगकर्ताओं के पंजीकरण का कार्य,

(ग) ऐसे कृत्यों को क्रियान्वित करना जैसा कि प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाए या समनुदेशित किया जाए।

अध्याय-तीन

कर्तव्य और उत्तरदायित्व

भू-जल विंग/इकाई के कर्तव्य

6-(1) भू-जल विंग/इकाई के कर्तव्य - भू-जल विंग/इकाई, जिला **भू-जल** प्रबंधन परिषद के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु एक क्रियाविधि विकसित करेगा;

(2) भू-जल विंग/इकाई, भू-जल से संबंधित आंकड़ों के एकत्रीकरण, विश्लेषण एवं प्रतिवेदन का प्रकाशन का कार्य करेगा;

(3) **भू-जल के विनियमन के प्रयोजन के लिए क्षेत्रों का अभिनिर्धारण** - भू-जल विंग/इकाई, राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के परामर्श से ऐसे क्षेत्रों, यथा जल संसाधन विभाग (भू-जल विंग/इकाई) और केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा किये गये नवीनतम भू-जल संसाधन प्राक्कलन के अनुसार श्रेणीकृत अतिदोहित तथा संकटग्रस्त खण्डों और संकटग्रस्त नगर पालिका/नगरीय क्षेत्रों (जहाँ भू-जल स्तरों में महत्वपूर्ण ह्रास हुआ हो) जिन्हें अधिसूचना के माध्यम से विनियमन के प्रयोजनार्थ अधिसूचित क्षेत्रों के रूप में अभिहित किया जाना हो, में भू-जल उपयोग के समग्र प्रबंधन तथा विनियमन हेतु समुचित उपाय करने के लिए उक्त संकटग्रस्त नगर पालिका/नगरीय क्षेत्रों को अभिनिर्धारित तथा चिन्हांकित करेगा;

(4) **भू-गर्भ जल सूचना/आंकड़े**ः-अतिदोहित संकटमय खण्डों और संकटग्रस्त नगरीय क्षेत्रों से सम्बंधित समस्त उपलब्ध भूगर्भ जल सूचना/आंकड़े भू-जल विंग/इकाई के सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रभागों के आंकड़ा केन्द्रों द्वारा जिला भू-जल प्रबंधन परिषदों से साझा किये जायेंगे।

अध्याय-चार

शक्तियाँ और कृत्य

भू-जल संसाधनों के प्रबंधन और विनियमन क्षेत्रों को अधिसूचित करने की शक्तियां

7-(1) जहाँ (भू-जल विंग/इकाई की जानकारियों पर आधारित) सक्षम प्राधिकरणों से परामर्श करने के पश्चात् राज्य भू-जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण की यह राय हो कि किसी क्षेत्र में और किसी रूप में विभिन्न प्रयोजनार्थ भू-जल का प्रबंधन एवं विनियमन करना और वर्षा जल संचयन/ भू-जल पुनर्भरण को प्रवर्तित करना तथा अतिदोहित/संकटग्रस्त खण्डों एवं संकटमय नगरीय क्षेत्रों (भू-जल विंग/इकाई द्वारा यथा अभिज्ञानित/चिन्हांकित) जहाँ भू-जल स्तर संकटग्रस्त या चिन्ताजनक स्तरों तक पहुंच गये हों, में विभिन्न समुचित जल संरक्षण/जल बचत/जल दक्ष पध्दतियों को क्रियान्वित करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन हो, वहाँ वह राज्य सरकार को ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया जाए, यह परामर्श देगा कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से अधिसूचित क्षेत्र घोषित करे;

परन्तु यह कि,-

(क) इस उप-धारा के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक, ऐसे अवधि से पूर्वत्तर नहीं होगी जैसा कि विहित किया जाए;

(ख) इस धारा के अधीन हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रत्येक अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित किये जाने के अतिरिक्त व्यापक प्रसार किया जायेगा जैसा कि विहित किया जाए;

(ग) उप-धारा (1) के अधीन जारी की जाने वाली अधिसूचना के अंतर्गत अभिज्ञानित/चिन्हांकित एवं अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाए, ;

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना की समय-समय पर अद्यतन भू-गर्भ जल निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार समीक्षा की जायेगी और रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार वह इस रूप में होगी जैसा कि विहित किया जाये;

अधिसूचित और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में विद्यमान वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और थोक भू-जल उपयोगकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण

8-(1) विद्यमान एवं भावी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक और थोक भू-जल उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण अनिवार्य होगा तथा ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाये,

(2) उपधारा (1) में उल्लेखित उपयोगकर्ताओं से भिन्न भू-जल के घरेलू या कृषि उपयोगकर्ता सहित प्रत्येक विद्यमान तथा भावी भू-जल उपयोक्ता का पंजीकरण ऐसी रीति से होगा जैसा कि विहित किया जाए।

अधिसूचित क्षेत्रों में नवीन कूप निर्माण पर प्रतिबंध

9 - 9-(1) अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर सरकारी पेय जलापूर्ति तथा वृक्षारोपण योजनाओं के सिवाय जैसा कि विहित किया जाए, नवीन कूप निर्माण पर प्रतिबंध होगा ऐसा प्रतिबन्ध तब तक जारी रहेगा जब तक राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के परामर्श पर उक्त क्षेत्र को गैर अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है, जैसा कि विहित किया जाए

(2) अधिसूचित क्षेत्रों में अपरिष्कृत/अप्रसंस्कृत/अनभिक्रियित भूगर्भ जल निकालने, उसका विक्रय करने तथा उसकी आपूर्ति दण्डनीय होगा जैसा कि अध्याय-5 में वर्णित है।

अधिसूचित क्षेत्रों में भू-गर्भ जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार किया जाना और उनका क्रियान्वयन

10- अधिसूचित क्षेत्रों में भू-जल संसाधनों के अविरतता को सुनिश्चित करने तथा उसे प्राप्त करने के लिए भूगर्भ जल सुरक्षा योजनाएँ क्रमबध्द क्रियान्वयन हेतु यथा विहित रीति से तैयार की जाएंगी।

गैर अधिसूचित क्षेत्रों में भू-जल निकालने के प्राधिकरण को स्वीकृत किया जाना

11- गैर अधिसूचित क्षेत्र में भूगर्भ जल निकालने के प्राधिकार की स्वीकृति संबंधित नियमों के तहत होंगी, जैसा कि विहित किया जाए;

वाणिज्यिक,औद्योगिक अवसंरचनात्मक खनन,थोक भू-जल उपयोगकर्ताओं हेतु भू-जल निकालने की सीमा नियत किया जाना

12- (1) राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग के परामर्श से भूगर्भ जल निकालने की सीमा यथाविहित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार नियत करेगा।

(2) व्यक्ति/व्यंक्तियों का समूह द्वारा उपधारा (1) के अधीन नियत सीमा का उल्लंघन करते पाए जाना दण्डनीय होगा, जैसा कि अध्याय-5 में विहित है।

भू-जल निकासी/ निष्कर्षण पर शुल्क

13-(1) कोई भी वाणिज्यिक, औद्योगिक, अवसंरचनात्मक, खनन या थोक भू-जल उपयोगकर्ताओं से, जिसे आगे इस धारा में उक्त उपयोगकर्ता कहा गया है, दोनों अधिसूचित तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों में भू-जल निकासी/निष्कर्षण पर करारोपण शुल्क यथाविहित रूप में वसूली जायेगी जैसा कि विहित किया जाये;

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करारोपण फीस, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 के अधीन प्रभारित जल उपकर के अतिरिक्त होगी।

(3) निकाले गये भू-जल की मात्रा को मापने तथा उसे अभिलिखित करने के प्रयोजनार्थ उक्त प्रत्येक उपयोगकर्ता को ऐसे मानकों का मीटर अथवा अन्य उपकरण/प्रणाली ऐसे स्थानों पर लगाना होगा, जैसाकि विहित किया जाये;

बेधन अभिकरणों का रजिस्ट्रीकरण

14-(1) समुचित निकाय में रजिस्ट्रीकरण के बिना फर्म, अभिकरण या कंपनी सहित कोई व्यक्ति भू-जल निकालने हेतु भूमि का न तो बेधन करेगा और न ही उसमे लगेगा।

किसी भू-जल उपयोक्ता के लिए अभिसूचित तथा गैर अधिसूचित क्षेत्रों में निकाय की शक्तियां

15- अधिसूचित और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में किसी भूगर्भ जल उपयोक्ता/उपयोगकर्ता तथा बेधन अभिकरणों के लिए प्रत्येक समुचित निकाय की शक्ति वहीं होगी जैसा कि विहित की जाए।

आदेशों आदि का तामिल किया जाना

16- धारा 11 के अधीन जारी प्रत्येक आदेश या निर्देश को उसी रीति से तामील किया जायेगा, जैसा कि इस अधिनियम में विहित किया जाए;

प्रतिकर दावा करने पर प्रतिबंध

17- अधिसूचित और गैर अधिसूचित क्षेत्रों में किसी व्यक्ति अथवा भू-जल उपयोगकर्ताओं विद्‌यमान एवं भावी दोनों को इस अधिनियम के अधीन कृत किसी कार्यवाही के आधार पर उसे हुई किसी क्षति के लिए चाहे वह वित्तीय निवेश या अन्य किसी रुप में हो, राज्य सरकार या किसी समुचित निकाय से किसी प्रकार की क्षति या प्रतिकर का दावा करने का हक नहीं होगा।

शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन

18- राज्य भू-जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण, लिखित रूप में सामान्य या विशेष आदेश द्‌वारा यह कि उसके द्‌वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों या कर्तव्यों में से समस्त शक्तियों या कर्तव्यों के निर्वहन का प्रत्यायोजन कर सकता है, जैसा कि विहित किया जाए।

प्राधिकरण के कर्मचारी, लोक सेवक होंगे।

19- राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के समस्त कर्मचारी, जब इस अधिनियम या तद्‌धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों के अनुसरण में कार्यरत हों या उनका कार्यरत होना आशयित हो, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझें जायेंगे।

सदभावनापूर्वक की गई कार्यवाही के सापेक्ष सुरक्षा

20- इस अधिनियम या तद्‌धीन बनायी गयी नियमावली के अधीन सद्‌भावना पूर्वक की गयी या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार या सरकार के किसी समुचित निकाय, किसी अन्य अधिकारी या किसी समुचित

निकाय के सदस्य या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध कोई अभियोग, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी।

21- **स्वतः विनियमन** - (1) अधिसूचित क्षेत्रों (ग्रामीण) के समस्त भू-जल उपयोगकर्ता स्वतः विनियमन, वर्षा जल संचयन, और जलागम संरक्षण, जल का पुनः उपयोग, भू-जल भराव की प्रक्रिया को ग्रहण करने के लिए समुचित निकाय द्वारा प्रोत्साहित किए जाएंगे।

(2) ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में भूगर्भ जल के प्रत्येक उपयोक्ता/ उपयोगकर्ता को, मितव्ययिता एवं दक्षता पूर्वक भू-जल निकालने और उसका उपयोग करने, जल अपव्यय को रोकने, पुनर्चालित (Recycled) किए गए जल का प्राथमिकता पर प्रयोग करने, वर्षा जल संचयन तथा पुनर्भरण पध्दतियों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

(3) समुचित निकाय, भूवैज्ञानिक शर्तों के अनुसार वर्षा जल संचयन और जलागम संरक्षण को प्रोत्साहित करेंगे, जो जल सुरक्षा योजनाओं का अभिन्न अंग होना चाहिए।

22. **प्रभावपूर्ण निर्धारण** - इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समुचित निकाय का यह कर्तव्य होगा कि वे अपनी अधिकारिता क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली ऐसी क्रियाकलापों के सामाजिक तथा पर्यावरणीय पहलुओं के प्रभाव को आंकलित करने का उपक्रम करें;

23. **सूचना सार्वजनिक रूप में रखी जायेगी** - इस अधिनियम की धारा 22 के अधीन किये गये क्रियाकलापों एवं सामाजिक तथा पर्यावरणीय पहलुओं के प्रभावों से संबंधित सूचनाएँ सार्वजनिक रूप में पहुंच हेतु इंटरनेट पर रखी जाएगी।

अध्याय-पाँच

उल्लंघन, अपराध एवं शास्तियां

24. उल्लंघन और शास्तियां - (1) यदि कोई वाणिज्यिक, औद्योगिक, अधोसंरचनात्मक और थोक भू-जल जल उपयोगकर्ता या कोई वेधन अभिकरण -

(क) इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है या उसका अनुपालन करने में विफल रहता है; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने हेतु समुचित निकाय या राज्य भू-जल प्रबंधन तथा नियामक प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के कर्तव्य निर्वहन में व्यवधान उत्पन्न करता है, तो वह ऐसे जुर्माने, जो रू. दो लाख से कम नहीं होगा और जो रू. पांच लाख तक हो सकता है या ऐसे कारावास, जो तीन माह से कम नहीं होगा, अथवा प्रथम अपराध के मामले में दोनों से दंडित किया जाएगा; या

(ग) उपखण्ड (ख) के अधीन दोष सिध्द पाए जाने के पश्चात पुनः उक्त अपराध करता है तो ऐसा उपयोगकर्ता द्वितीय अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह ऐसे जुर्माने, जो रू. पांच लाख रूपये से रू. दस लाख रूपये तक हो सकता है अथवा छः माह के कारावास अथवा जुर्माना एवं कारावास दोनो से दंडित किया जावेगा।

(घ) इस अधिनियम के अधीन भू-जल निष्कर्षन हेतु दी गयी अनुमति द्वितीय अपराध के मामले में तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।

2(क) कोई जल आपूर्तिकर्ता (सरकारी पेयजल आपूर्ति योजनाओं से भिन्न) जो ऐसे भू-जल की आपूर्ति करता है या कराता है और इस अधिनियम में विहित निर्धारित मात्रा का उल्लंघन करता हो तो उसे अधिकतम दस हजार रूपये तक जुर्माने से दंडित किया जावेगा, जो कि ऐसे अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जायेगा, जिसे ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित हो, जैसा कि विहित किया जाए;

(ख) (i) धारा (2)(क) के बार-बार उल्लंघन किये जाने/पाये जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यंत्र/वाहन/जलयान को जब्त किया जायेगा।

(ii) कोई जल आपूर्तिकर्ता बिना किसी वैधानिक प्राधिकार के (सरकारी पेयजल आपूर्ति योजनाओं से भिन्न) ऐसे भू-जल की आपूर्ति करता है या कराता है

अथवा वेधन करता है जो इस अधिनियम में विहित निर्धारित मात्रा का उल्लंघन करता हो एवं इसके लिए किसी यंत्र/उपकरण/वाहन/स्रोत इत्यादि का उपयोग करता है, तो ऐसा यंत्र/उपकरण/वाहन/स्रोत इत्यादि को ऐसे अधिकारी द्वारा जब्त किया जावेगा, जो इसके लिए समुचित रूप से प्राधिकृत हो;

(ग) धारा 24(2)(ख) के अधीन जब्त किये गये यंत्र/वाहन/जलयान की अंतरिम अभिरक्षा धारा 23(2)(क) में वर्णित आपूर्तिकर्ता/आरोपी को ऐसे अधिकारी के आदेश द्वारा सौंपी जा सकेगी, जिसे समुचित निकाय द्वारा विहित किया जाए;

25 **कंपनियों द्वारा अपराध** - (1) जब कभी किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया हो, तब प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध किए जाने के समय कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था या उसके प्रति उत्तरदायी था, अपराध के लिए दोषी समझा जायेगा;

(2) उपधारा (1) के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, कंपनी के निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया हो, उसकी ओर से की गई किसी उपेक्षा के कारण हो वहां ऐसा निर्देशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा।

26 **अपराधों का प्रशमन -** (1) धारा 24 एवं 25 की उपधाराओं में वर्णित किसी अपराध का प्रशमन, ऐसे अधिकारियों जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, द्वारा अभियोग संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् , अभियुक्त के आवेदन पर जलकर एवं अन्य उपकर आदि सहित मात्रा के अनुसार जो भी लागू हो, के साथ संबंधित उपबंध में निर्धारित अधिकतम जुर्माने के कम से कम 50% एवं अधिकतम निर्धारित जुर्माने की सीमा तक हो सकता है, प्रशमन शुल्क के रूप में अधिरोपित एवं शासन हित में जमा करने के पश्चात् किया जा सकेगा।

(2) उपबंध 26(1) में वर्णित सक्षम अधिकारी समुचित निकाय के नियंत्रण एवं निर्देशानुसार ही अपराधों के प्रशमन के प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे;

(3) अपराधों के प्रशमन हेतु प्रत्येक आवेदन इस प्रकार से किया जावेगा जैसा कि विहित हो;

(4) ऐसे अपराध जिनमें प्रशमन का आवेदन अभियोजन संस्थित होने के पूर्व

कर दिया गया हो के मामले में आरोपी के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही नहीं की जावेगी;

(5) ऐसे मामलों में जहाँ अपराध के प्रशमन हेतु आवेदन अभियोजन प्रारंभ होने के बाद किया जाए, वहाँ प्रशमन के आवेदन को ऐसे न्यायालय के संज्ञान में लाया जाएगा, जहाँ अभियोजन की कार्यवाही लंबित हो एवं आरोपी को प्रशमन की कार्यवाही पूर्ण होने पर दोषमुक्त कर दिया जाएगा;

27 **अपराधों का संज्ञान** - (1) इस अधिनियम के अधीन अध्याय-5 में वर्णित अपराध संज्ञेय होंगे एवं उनका संज्ञान राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अधिकारी द्वारा लिया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए;

(2) इस अधिनियम में वर्णित किसी अपराध का संज्ञान किसी भी न्यायालय द्वारा तब तक नहीं लिया जाएगा, जब तक इस हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से अपराध की सूचना न्यायालय को प्रस्तुत न की जावे;

(3) राज्य शासन द्वारा अधिसूचित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दाखिल की गई किसी शिकायत के आधार पर ही न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ले सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत वर्णित अपराध प्रथम वर्ग न्यायिक मेजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचारणीय होंगे, ;

28. **भू-जल शिकायत निवारण अधिकारी** - जिला कलेक्टर, जिला भू-जल शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में कार्य करेगा, जिला भू-जल शिकायत निवारण अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुध्द अपील राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण में, जिला भू-जल शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित होने के 60 दिन के भीतर किया जा सकता है। राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के द्वारा पारित आदेश के विरुध्द द्वितीय अपील रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में राज्य भू-जल प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण के द्वारा आदेश पारित होने के 90 दिन के भीतर किया जा सकता है।

<u>अध्याय-छः</u>

प्रकीर्ण

29. **समुचित निकाय को सूचना मांगने की शक्ति**- राज्य भू-जल प्रबंधन तथा नियामक प्राधिकरण और जिला भू-जल प्रबंधन परिषदों के पास राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी कोई सूचना, जो उसके द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनाई गई नियमावली, विनियमावली तथा उप-विधियों के अधीन उनकी शक्तियों के प्रयोग तथा उनके कर्तव्यों के निर्वहन में अपेक्षित हो, मांगने की शक्ति होगी और ऐसा विभाग या व्यक्ति ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा/होगी।

30**. पूर्व विद्यमान अधिकार** - (1) भू-जल उपयोक्ता के पूर्व-विद्यमान अधिकार, ऐसे अवधि के लिए विधिमान्य रहना जारी रहेंगे, जैसा कि विहित किया जाए।

(2) भू-गर्भ जल उपयोक्ता/उपयोगकर्ता, किन्हीं विधिक या अन्य अधिकारों, जो इस अधिनियम के अधीन समाप्त हो गए हैं, के लिए किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

31. **भू-जल निधि** - राज्य सरकार द्वारा भू-जल संरक्षण कोष नामक एक निधि का सृजन किया गया है और शास्तियों, पंजीकरण फीस तथा भू-जल निष्कर्षण/निकासी का शुल्क/करारोपण शुल्क आदि की समस्त लेखा प्राप्तियां, इस निधि में जमा की जाएंगी। उक्त निधि का उपयोग किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाए।

32. **राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति** - राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती हैं।

33. **राज्य सरकार को छूट प्रदान करने की शक्ति** - राज्य सरकार, राज्य भू-जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण की संतुष्टि पर किसी प्रयोक्ता या प्रयोक्ता वर्ग या वाद को इस अधिनियम के किसी उपबंध से छूट प्रदान कर सकता हैं।

34. **अधिनियम का अन्य नियमों पर अध्यारोही प्रभाव होना -** इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त छत्तीसगढ़ राज्य किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

35. **पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत राज्य/जिला प्राधिकरणों को प्रदत्त प्रावधान एंव शक्तियां इस अधिनियम के प्रावधानों से प्रभावित नही होंगी।**

उद्देश्य और कारण

भूगर्भ जल घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोगों के लिए जल का एकल सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। यह ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पेयजल, भोजन और आजीविका का प्रधान आधार है। राज्य सरकार के संज्ञान में यह लाया गया है कि भू-जल के अनियन्त्रित और तीव्र निष्कर्षण के फलस्वरूप राज्य के अनेक क्षेत्रों में भू-जल के स्तरों में गिरावट और भू-जल जलाशयों में ह्रास होने की भयावह स्थिति उत्पन्न हो गयी है। राज्य में गम्भीर भू-जल संकट और भू-जल संदूषण की स्थिति से निपटने के लिए राज्य में दोनों परिणात्मक एवं गुणात्मक भू-जल का अविरत प्रबन्धन सुनिश्चित करने हेतु भू-जल की सुरक्षा, संरक्षा, नियंत्रण तथा विनियमन करने के लिए एक विधि बनाने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबन्धन और विनियमन) विधेयक, 2022 पुनःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

भारसाधक सचिव